<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

पानीपत, 01 जुलाई, 2017

भाजपा के जीएसटी में टैक्सदर विश्व में सबसे अधिक।

वर्तमान जीएसटी ने दुकानदारों, कारोबारियों, छोटे व मध्यम व्यापारियों, किसानों और आम जनता की रोजी-रोटी पर कड़ा प्रहार किया।

यूपीए के जीएसटी में टैक्स की अधिकतम सीमा 18 प्रतिशत थी। यह जीएसटी सरल और पारदर्शी था, जबकि भाजपा का जीएसटी इसके बिल्कुल उलट।

भाजपा के जीएसटी से रोटी, कपड़ा और मकान को लगी गहरी चोट। कपड़ा उद्योग पर कुठाराघात।

''भाजपा के जटिल एवं अधिक टैक्स वाले जीएसटी ने दुकानदारों, छोटे व्यापारियों, छोटे व लघु उद्योग, आम जनता व किसानों की रोजी-रोटी पर कड़ा प्रहार किया है। इस जीएसटी के माध्यम से देश में दुनिया में अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी टैक्स लागू कर दिया गया है।" यह बात शनिवार को पानीपत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 'व्यापार बचाओ - दुकानदार बचाओ' के तत्वाधान में आयोजित 'व्यापारी सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कही। व्यापारी सम्मेलन को देश में वर्तमान जीएसटी व्यवस्था के विरोध में आयोजित किया गया था।

इस व्यापार सम्मेलन का आयोजन पानीपत से कांग्रेस प्रत्याशी रहे, श्री वीरेंद्र शाह के द्वारा किया गया। सेवादल के पूर्व अध्यक्ष, श्री सुरेश गुप्ता तथा पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष, श्री संजय छोकर द्वारा इस सम्मेलन के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इस विशाल व्यापारी सम्मेलन में पानीपत के महत्वपूर्ण टेक्सटाईल केंद्रों के व्यापारी, दुकानदार, कारोबारी के अलावा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए व्यापारी संगठनों व पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

व्यापारियों की प्रभावी सभा को संबोधित करते हुए श्री सुरजेवाला ने कहा कि 5 टैक्स-स्लैब वाला (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत, 43 प्रतिशत) वर्तमान जीएसटी का स्वरूप एक तरफ किसानों, कपड़ा उद्योग, छोटे व लघु उद्योग को धक्का पहुंचाएगा, वहीं आम जनता के दैनिक उपयोग के सामान की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि कर देगा। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार का जीएसटी सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक था, जबकि भाजपा द्वारा लाया गया जीएसटी इतना उलझनभरा है जिसमें टैक्सदाता साल में 37 बार रिटर्न भरने की भूल-भुलैया में उलझकर रह जाएगा। व्यापारियों की तकलीफ का अंदाजा इस बात से लगता है कि यदि कोई टैक्सदाता 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में व्यापार करता है, तो उसे एक साल में 1332 रिटर्न भरनी होंगी। उन्होंने कहा कि यदि वो रिटर्न ही भरता रहेगा, तो फिर अपना व्यापार कब करेगा। यह भी सोचने वाली बात है।

दैनिक जरूरतों की वस्तुओं पर भारी टैक्स

जीएसटी के प्रावधानों की विस्तृत चर्चा करते हुए श्री सुरजेवाला ने 'रोटी, कपड़ा और मकान' पर बेतहाशा टैक्स लगाने के लिए भाजपा की मंशा पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री, श्री अरुण जेटली से सीधा प्रश्न पूछते हुए श्री सुरजेवाला ने दैनिक उपयोग के सामान पर अत्यधिक टैक्स लगाए जाने का कारण बताने का आग्रह किया।

श्री सुरजेवाला ने बताया कि भाजपा के जीएसटी में शैंपू/डियोड्रंट, एसी/टीवी/वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर/मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, छोटी कारेंं, 100 रु. से अधिक के फिल्म के टिकट, वाहनों पर ईएमआई, सीमेंट, चेस बोर्ड/योगा मैट पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाए गए हैं। इसी प्रकार फूड एवं बेवरेज, क्रेडिट कार्ड द्वारा पेमेंट एवं सभी बैंकिंग सेवाओं, इंश्योरेंस प्रीमियम एवं वित्तीय सेवाओं, टेलीफोन/सेल फोन शुल्क, हेलमेट, कोचिंग क्लासेस, टूर एवं ट्रैवल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एवं हॉस्पिटल, संपूर्ण विनिर्माण क्षेत्र, आईसक्रीम/हेयर ऑईल/टूथपेस्ट/साबुन/सूप/कॉर्न फ्लेक्स, टेक्सटाईल/मैनमेड फाईबर/डाईंग/एम्ब्रॉयडरी, होम लोन/कंज़्यूमर ड्यूरेबल/मेडिसीन/इंश्योरेंस, फोटो-वोल्टेक सेल, मिनरल वॉटर पर 18 प्रतिशत की दर से टैक्सभार डाला गया है। डायलिसिस, ब्लड टेस्ट, एक्स-रे, अल्ट्रा-साउंड आदि जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं पर 12 से 18 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया गया है। महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन, 1000 रु. से अधिक मूल्य के कपड़े/जूते, चाय/कॉफी/मक्खन, बिस्कुट, दही/मिठाई/जूस पर 12 से 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। दिव्यांगों के लिए बेहद जरूरी व्हील चेयर पर भी 5 प्रतिशत टैक्स लगा दिया गया है, जिससे सरकार की सोच का पता चलता है।

श्री सुरजेवाला ने टैक्स दरें निर्धारित करने में हुए मनमानेपन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि इस बात का क्या तर्क है कि झींगों ;चतंूदेद्ध और मछली के अंडों के अचार ;बंअपंतद्ध पर तो 12ः का टैक्स लगाया गया, मिनरल वॉटर को 18 प्रतिशत की टैक्स दर में रखा गया और विदेशों से मंगाए जाने वाले आयातित फलों एवं सब्जियों पर कोई टैक्स नहीं रखा गया? इसी तरह बादाम एवं मेवों पर 12 प्रतिशत का टैक्स लगाने और काजू को 5 प्रतिशत की टैक्स सीमा में रखने के पीछे क्या तर्क हो सकता है?

कपड़ा उद्योग पर सबसे कड़ा प्रहार

श्री सुरजेवाला ने कहा कि कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है। जीएसटी की मनमानी ड्यूटी संरचना से इस सेक्टर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और छोटे, लघु एवं मध्यम निर्माताओं, कारोबारियों, कपड़ा व्यापारियों तथा दुकानदारों की रोजी-रोटी बंद हो जाएगी। श्री सुरजेवाला ने बताया कि एक तरफ तो सरकार ने फैब्रिक (कपड़ा) को 5 प्रतिशत की टैक्सदर रखकर भोलेभाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ हस्तनिर्मित फाईबर एवं धागों, डाईंग और प्रिंटिंग तथा एम्ब्रॉयडरी पर 18 प्रतिशत का ऊंचा टैक्स लगा दिया है। इससे छोटी, लघु तथा नॉन-इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल कंपनियों का कारोबार ठप्प पड़ जाएगा और कपड़ा उद्योग की बड़ी कंपनियां भारी फायदा कमाएंगी। चौंकानेवाली बात तो यह है कि एक तरफ भारतीय फैब्रिक

निर्माताओं पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार ने चीन, बंग्लादेश, श्रीलंका और अन्य देशों से मंगाए जाने वाले आयातित फैब्रिक पर केवल 5 प्रतिशत का टैक्स लगाया है, जिससे भारत में कपड़ा उद्योग की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी।

खेती-बाड़ी पर टैक्स लगा - भाजपा का किसान-विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ

जहां भारत का किसान उचित एमएसपी तथा कर्ज के बोझ से मुक्ति पाने के लिए जूझ रहा है। वहीं भाजपा सरकार ने जीएसटी के माध्यम से किसान और खेती-बाड़ी पर दोहरी मार मारते हुए टैक्स लगा दिया है।

ज्यादातर राज्यों में खाद पर 0 प्रतिशत टैक्स लगता था। पहले भाजपा ने खाद पर 12 प्रतिशत टैक्स लगाया, लेकिन कांग्रेस के विरोध के बाद कल देर रात इस टैक्स को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। इसी तरह देश के किसानों की दुर्दशा पर आंखें मूंदते हुए कीटनाशकों पर 28 प्रतिशत का जीएसटी लगा दिया। खेती-बाड़ी के लिए ऐसा प्रतिकूल फैसला क्यों किया गया, यह चिंतनीय मुद्दा है।

हद तो तब हो गई, जब ट्रैक्टर एवं सभी कृषि उपकरणों पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगा दिया गया। पीछे के दरवाजे से टायरों, ट्यूब, इंजन और ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के पुर्जों तथा अन्य कृषि उपकरणों पर 28 प्रतिशत का टैक्स थोप दिया गया, जिससे खेती-बाड़ी पर प्रभावी टैक्स 28 प्रतिशत हो जाएगा। इससे भाजपा का दोहरा चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है।

कृषि उत्पादों का भंडारण करके रखने तथा मेकेनाईज़्ड फूड ग्रेंस हैंडलिंग सिस्टम के लिए कोल्ड स्टोर एवं वेयरहाउसों के निर्माण पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगाया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र पर टैक्स का भार बहुत अधिक बढ़ जाएगा।

जीएसटी: अयोग्यता का शिकार सुनहरा अवसर

जीएसटी में संशोधन को सभी राजनैतिक दलों के पूरे सहयोग के बावजूद भाजपा के अयोग्य नेतृत्व ने एक बिल्कुल अर्थहीन जीएसटी लागू कर डाला है, जो कि भाजपा के 'बड़ी बड़ी बातें, काम कुछ नहीं' की कार्यशैली का एक और उदाहरण है।